10187

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 MAR 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560478

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

पट्टा विलेख

यह अनुबन्ध आज दिनांक 26 माह मार्च 2012 को उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,(जिसे एतद्पश्चात 'पट्टाकर्ता' कहा गया है)एक पक्ष और अजय परिषद सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव), निवासी–11/जी0एच0–1, (सेक्टर–11), वसुन्धरा, गाजियाबाद जिसे एतद्पश्चात 'पट्टेदार समिति ' कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया जा रहा है। इस पट्टा विलेख में वर्णित पट्टाकर्ता एवं पट्टाधारक का तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो उनके उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधियों,निष्पादक एवं प्रशासक इत्यादि से है,और सम्मिलित है।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद.

अजय परिषद सहकारी आवास समिति लि0

23 MAR 2012
TREASURY

पट्टा विलेख (90 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
3,12,14,788.00			10,000.00	100	10,100.00	5,000

श्री अजमेरा परिषद सह0 आवसमि लि द्वारा नरेन्द्र सिंह तोमर सचिव
पुत्र श्री सरदार सिंह
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी 11बी एल1 बी 11 वसुन्धरा गा.बाद
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/3/2012 समय 4:29PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
राजेन्द्र सिंह
उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
26/3/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता
श्री शिशुपाल
प्रतिनिधि एल डी सि उप आवासआयुक्त
पुत्र श्री
पुत्र/पत्नी श्री पेशा नौकरी

पट्टा गृहीता
श्री अजमेरा परिषद सह0 आवसमि लि द्वारा नरेन्द्र सिंह तोमर सचिव
पुत्र श्री सरदार सिंह
पेशा अन्य
निवासी 11बी एल1 बी 11 वसुन्धरा गा.बाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पी डी शर्मा
पुत्र श्री सीडी शर्मा
पेशा अन्य
निवासी एफ डी 22 कवि नगर गा.बाद
व श्री सतन सिंह
पुत्र श्री धर्मराज सिंह
पेशा अन्य
निवासी लाहकण्ड गा.बाद

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
राजेन्द्र सिंह
उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
26/3/2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

23 MAR 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560477

चूँकि आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ने (जिसे एतदपश्चात परिषद कहा गया है) भूखण्डों और भवनों के पंजीकरण की योजना के अधीन इसमें आगे वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी0एच0–1, (सेक्टर–11) को इसमें आगे बताई गई रीति से पट्टेदार समिति को पट्टान्तरित करने की सहमति दे दी है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि रू0–3,02,30,788.00 (केवल रू0–तीन करोड दो लाख तीस हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) की धनराशि के प्रीमियम,जिसका भुगतान पट्टेदार समिति द्वारा पट्टाकर्ता को कर दिया गया है(जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा अभिस्वीकार की जाती है) और एतदपश्चात निर्दिष्ट किराये और पट्टेदार समिति की ओर से इसमें आगे की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता एतद्द्वारा पट्टेदार समिति को उसके समस्त अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ और निरपोतासहित वह समस्त भूखण्ड पट्टान्तरित करता है जिसकी माप 16188.00 वर्ग मी0 है और जो उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल और जिसकी माप उत्तर की ओर ,दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर साइट प्लान के अनुसार है और

पट्टेदार

अजया परिषद सहकारी आवास समिति लि०

(सचिव)

पट्टाकर्ता

अधि० अभियन्ता

आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा, गाजियाबाद

668 Rs.
Stamp No. 667
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

पट्टा दाता

Registration No.: 10187 Year : 2,012 Book No. : 1

0101 शिशुपाल प्रतिनिधि एस बी सिंह उप आवासआयुक्त

नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560476

[3]

उक्त भूखण्ड इसमें नीचे लिखित अनुसूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित है और भूखण्ड संख्या के रूप में संख्यांकित किया गया है और जिसका कब्जा समस्त अधिकारों सुखाधिकारों और अनुलग्नकों के साथ जो भी उक्त भूखण्ड में हो या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध हो, पट्टेदार समिति को एतद्द्वारा पट्टान्तरित परिसर नब्बे वर्ष की अवधि तक धृत करने के लिए पट्टेदार समिति को प्रदत्त कर दिया गया है जिसका किराया रू0—30,23,079.00 (रूपया तीस लाख तेईस हजार उनयासी मात्र) नब्बे वर्ष दिनांक 1.5.1997 से दिनांक 30.4.2087 तक का भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि रू0—30,23,079.00 (रूपया तीस लाख तेईस हजार उनयासी मात्र) लीजरेन्ट के रूप में जमा किया जा चुका है प्रदत्त किया जाता है।प्रारूप सलग्न है आवास एवं विकास परिषद' लखनऊ के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे परिषद समय—समय पर इसे निमित्त नियत करें, किया जायेगा और पट्टेदार समिति एतद्द्वारा के पट्टाकर्ता के साथ प्रसंविदा करता है कि एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान पट्टाकर्ता को एतद्द्वारा निर्दिष्ट किराये का भुगतान इसमें पहले नियत तिथि और रीति से करेगा और समय—समय पर और सभी

अध्यक्ष पट्टेदार समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद.

Stamp No.
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

पट्टा गृहीता

Registration No. : 10187   Year : 2,012   Book No. : 1

0201 आवास परिषद सह0 आवसमि लि द्वारा नरेन्द्र सिंह तोमर 'सचिव
हरपाल सिंह
11 बी एस । डी 11 वसुंधरा गा.बाद
ना-प

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

B 560475

[4]

समय पर उक्त अवधि के दौरान सभी कर, उपकर, प्रभार और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित कर का, जो इस समय विद्यमान है या इसके बाद उक्त अवधि के दौरान किसी समय एतदद्वारा पट्टान्तरित उक्त परिसर या उस पर निर्मित किये जाने वाले भवन या उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार पर निर्धारित, प्रभारित या आरोपित किया जाय, भुगतान करेगा, और उन्हें चुकता करेगा और अच्छे सावधान और कर्मकार जैसी रीति से और उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के समाधान पद रूप में उक्त पट्टान्तरित परिसर के ऐसे भागों पर जैसा कि इसके साथ संलग्न नक्शे पर चिंहित है 5 वर्ष की अवधि के भीतर उनके निर्माण की विधियों के अनुसार उस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे और ऊँचाई के अनुसार एक आवास गृह का निर्माण करेगा पट्टा धारक समिति परिषद की भवन डिजाइन एवं विकास उपविधि 2000(यथा संशोधित 2001-2002) के अनुसार निर्माण करने हेतु बाध्य होगा एवं उन्हीं शर्तों एवं

पट्टेदार

उप आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा, गाजियाबाद.

23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

3 MAR 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560474

[5]

प्राविधानों के अधीन यह पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। और उसे निवास और उपयोग के लिए पूर्ण रूप से तैयार करेगा ।

भूखण्ड का पट्टेदार समिति परिषद के पूर्वानुमोदन के सिवाय अपने अधिकार का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा/करेगी। यदि अन्तरण आवंटन के दिनांक से प्रथम दस वर्ष की अवधि के भीतर अपेक्षित हो तो परिषद की पूर्वानुमति से करेगा/करेगी/ आवंटन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के पश्चात अन्तरण आवास आयुक्त की अनुमति से करेगा/करेगी। दोनों ही दशाओं में अर्थात यदि अन्तरण की अनुमति आवंटन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिषद द्वारा दी गई हो या उसके पश्चात इससे दी गई अन्य शर्तों के अधीन आवास आयुक्त द्वारा दी गई हो, पट्टान्तरित परिसर के यथा उपयुक्त प्रत्येक अनुवर्ती अन्तरण या त्याग करने की दशामें जो उस भवन के पूर्ण होने से पहले या बाद में किया जाय, ऐसी अनुमति लेने से पूर्व पट्टेदार समिति अनुमति अन्तरण या त्याग करने के दिनांक को पट्टान्तरित परिसर के बाजार मूल्य के प्रीमियम, जैसा कि आवास आयुक्त द्वारा नियत किया जाय, और प्रीमियम के बीच अर्थात प्रति वर्ग मी० दर जिस पर इस विलेख के अधीन पट्टान्तरित परिसर पट्टे पर दिया जा रहा हो, अन्तरण हेतु परिषद

पट्टेदार

(एस०एल० [illegible])

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

671
No. 667
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY CITY ...BAD

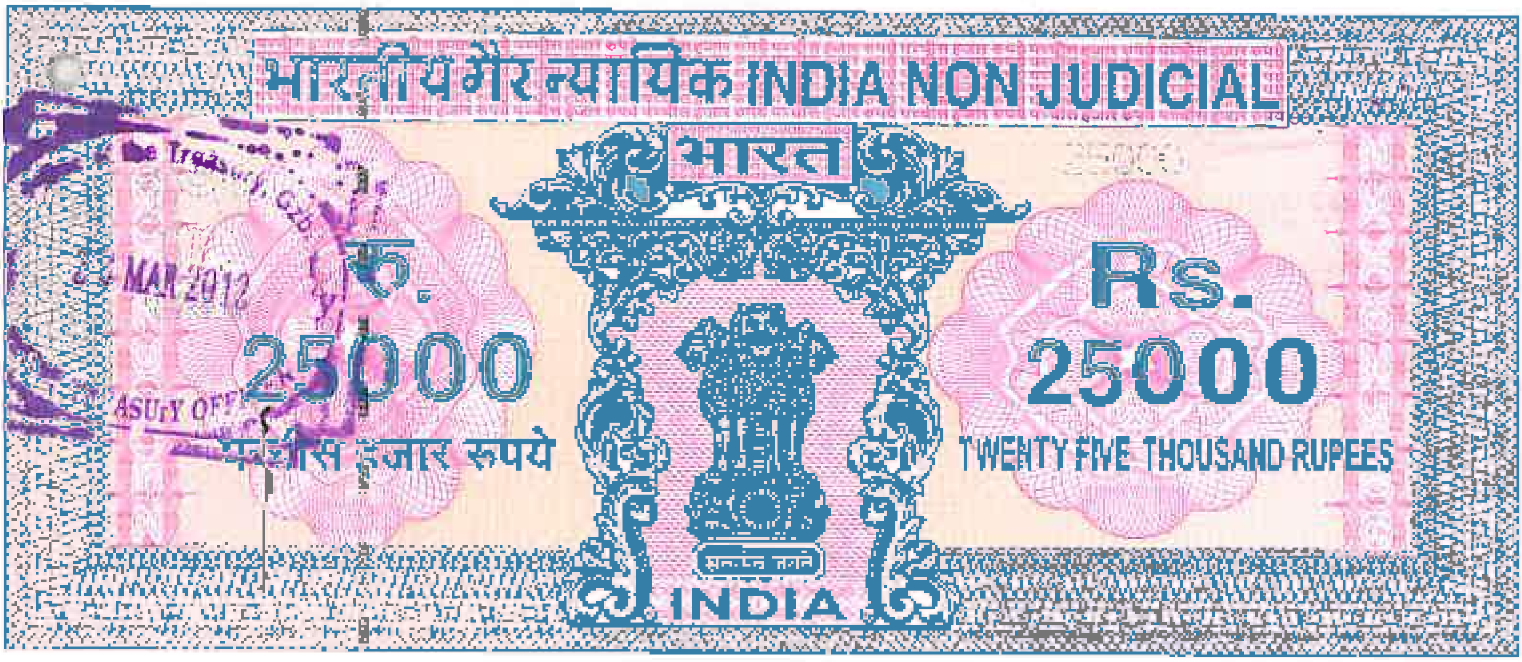

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560473

नियमानुसार अन्तरण शुल्क उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद को भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा ।

पट्टेदार समिति उक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की लिखित पूर्व सहमति के बिना उक्त पट्टान्तरित परिसर और भवन के किसी भाग पर पट्टान्तरित परिसर पर पहले से स्थित सरचना से भिन्न कोई अन्य निर्माण नहीं करेगा या निर्माण नहीं होने देगा और यथा उपर्युक्त ऐसी सहमति के बिना उक्त भवन के नक्शे या उसकी ऊँचाई में परिवर्तन नही करेगा ।

ग्रुप हाउसिंग के संबंध में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों/नियमों का पालन करने के लिए समिति बाध्य होगी पट्टेदार यथा पूर्वोक्त अनुमति के बिना उक्त पट्टान्तरित परिसर का कोई उपविभाजन करने या हिस्सों मे उसका अन्तरण या समनुदेशन करने का हकदार नही होगा यद्यपि ऐसे सम्पूर्ण भूखण्ड को जो पट्टाकर्ता द्वारा अवगत किया गया हो और पट्टे पर दिया गया हो समनुदेशित या अन्तरित किया जा सकता है और यह भी पट्टेदार की उक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की लिखित पूर्व सहमति के बिना सम्पूर्ण पट्टान्तरित परिसर या उसका कोई भाग उप–किराये पर देने का कोई अधिकार

पट्टेदार

(एस0एस0 तोमर)
सचिव

पट्टादाता

23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY CJ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

3 MAR 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560472

नहीं होगा और यह भी कि पट्टेदार समिति उसका/उसकी समनुदेशती या अन्तरिती यथा स्थिति उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद या आवास आयुक्त की अनुमति से भी उस पट्टान्तरण के अधीन अपने अधिकारों का अन्तरण तब तक नहीं करेगा/करेगी जब तक कि उसने इस विलेख के अधीन ऐसे समनुदेशन या अन्तरण के दिनांक को पट्टाकर्ता को उससे प्राप्त किराये की समस्त बकाया धनराशि का भुगतान न कर दिया हो और यदि पट्टेदार समिति उसका/उसकी समनुदेशती या अन्तरिती पहले पट्टाकर्ता की उससे प्राप्त किराये के समस्तबकाया धनराशि का भुगतान किये बिना कोई समनुदेशन या अन्तरण करता /करती है तो ऐसा/ऐसी समनुदेशिती या अन्तरिती भी ऐसे समनुदेशन या अन्तरण के दिनांक को पट्टाकर्ता को उससे प्राप्त किराये और प्रीमियम की समस्त बकाया धनराशि के लिए समानरूप से उत्तरदायी होगा/होगी और यह भी पट्टेदार समिति समय–समय पर और उक्त अवधि के दौरान सभी समय तथा पूर्ववत इस प्रकार निर्मित होने वाले भवनों की मरम्मत करायेगा और उन्हे बाहर और भीतर दोनों ही ओर से अच्छी स्थिति में रखेगा और उसकी मरम्मत करायेगा और यह भी पट्टेदार समिति किसी भी समय उक्त परिसर में कोई व्यापार या कारोबार चाहे जो भी हो नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं

पट्टेदार समिति लि०

(एस०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद.

23 MAR 2012

CASHIER

TREASURY G...NAGAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560471

[8]

देगा या उसका उपयोग किसी भी धार्मिक प्रयोजन या निजी निवास से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा और पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कण्टक, क्षति क्षोभ या असुविधा हो या उत्पन्न हो जाये, परन्तु यह और कि पट्टेदार उक्त अवधि के समाप्त या समय से अपेक्षाकृत पहले ही पर्यवसान होने पर उक्त पट्टान्तरित परिसर और उक्त भवन को अच्छी और पर्याप्त मरम्मत करके शान्तिपूर्वक पट्टाकर्ता को अभ्यर्पित कर देगा और छोड़ देगा जो अवधि के समाप्त होने पर या तो भवनों का मूल्यांकन के आधार जिसे परिषद या इसके उत्तराधिकारी तय करेंगे और यदि मूल्यांकन तय नहीं हो पाता है और परिसर का कब्जा परिषद को प्राप्त हो जाता है तो पट्टाधारक को परिषद से किसी भी प्रकार की क्षति हेतु क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु समिति अपने सदस्यों के प्रति उनके हितों के प्रभावित होने पर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगी। पर ले सकता है या पट्टेदार समिति को उसे हटाने का अधिकार होगा और जैसे ही उक्त परिसर समनुदेशन द्वारा मृत्यु हो जाने से या विधि से प्रवर्तन से या अन्यथा किसी भी प्रकार से एतद द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान समनुदेशित हो जाये। विरासत से प्राप्त हो जाय या अन्तरित हो

पट्टेदार
...न्यास समिति लि०
(एस०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद.

674 Rs.
Stamp No. 867
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560470

जाय, ऐसे समनुदेशन विरासत में पाने या अन्तरण के दिनांक से एक कलैण्डर मास के भीतर उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद को सूचित किया जायेगा,जिसमें ऐसे प्रत्येक समनुदेशन के पक्षकारों के नाम और विवरण और उसकी विशिष्टियाँ और चीज वस्तु के साथ–साथ प्रत्येक समनुदेशन और इच्छापत्र का प्रत्येक प्रोबेट या प्रशासन–पत्र, डिग्री आदेश प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज दिये गये हों जिनसे ऐसा समनुदेशन,विरासत या अन्तरण किया गया हो या प्रमाणित होता हो और उक्त नोटिस के साथ लगाये गये उपयुक्त दस्तावेज कम से कम सात दिन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय में रहेंगे और यह भी उक्त अवधि के दौरान दिन में सभी युक्तियुक्त समय पर पट्टाकर्ता और उसके अभिकर्ताओं के लिए उक्त पट्टान्तरित परिसर और उस पर यथा पूर्वोक्त निर्मित होने वाले भवन में और उस पर प्रवेश करना और उसकी स्थिति का निरीक्षण और अवलोकन करना और किसी ऐसे निरीक्षण में कोई खराबी या मरम्मत की आवश्यकता पाई जाने या पता लगने पर उसे पूरा कराने और उसकी पुनः मरम्मत कराने की लिखित नोटिस पट्टेदार को देना या उक्त परिसर में से छोड़ना विधिपूर्ण होगा और ऐसी नोटिस के ठीक तीन कलैण्डर मास के भीतर पट्टेदार तद्नुसार भली–भाँति और पर्याप्त रूप से ठीक करेगा और

पट्टेदार

...समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Stamp No. 667
575
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560469

उसकी पुनः मरम्मत करायेगा, सदैव उपबन्धित है और एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि यदि एतद्द्वारा निर्दिष्ट उक्त वार्षिक किराया या उसका कोई भाग जिस किसी भी दिनांक को देय हो जायेगा उसके ठीक पश्चात एक कलेण्डर मास तक बकाया और अदत्त रहा जाय, चाहे उसकी विधिपूर्ण मांग की गई हो या नहीं, या यदि पट्टेदार द्वारा इसमें पहले दी गई किसी ऐसी प्रसंविदा का जिसका उसकी ओर अनुपालन या निष्पादन किया जाना हो, उल्लंघन या अनुपालन किया जायेगा तब ऐसे किसी मामले में पट्टाकर्ता के लिए किसी पूर्ववर्ती मामले या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्याग करते हुए भी उक्त पट्टान्तरित परिसर और यथा पूर्वोक्त इस प्रकार निर्मित होने वाले भवन या सम्पूर्ण के नाम से उसके किसी भाग में और उस पर प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा और तत्पश्चात वह (परिसर और भवन) पट्टाकर्ता के उपयोग में रहेगा और उसमें निहित हो जायेगा और एतद्द्वारा यह प्रसंविदा दी जाती है कि इसमें इसके प्रयुक्त पद 'पट्टाकर्ता' और पट्टेदार में जब तक कि ऐसा निर्वचन प्रसंग से असगत न हो,पट्टाकर्ता की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती और पट्टेदार की स्थिति में उसके वारिश, निष्पादक प्रशासक,प्रतिनिधि और समनुदेशती सम्मिलित होंगे और इसके पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है कि इस विलेख के

पट्टेदार

[illegible] सहकारी [illegible] समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद.

Stamp No. 567
23 MAR 2012
CASHIER
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560468

[11]

निष्पादन और रजिस्ट्री करण के आनुसांगिक सभी खर्च और व्यय पट्टेदार द्वारा देय होंगे। जिसके साक्ष्य में उसके पक्षकारों ने पहले उपलिखित दिनांक वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए होंगे ।

संक्षेप में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्राविधानों के अतिरिक्त या साथ–साथ इस पट्टाविलेख के किसी भी शर्त का उल्लंघन पट्टाधारक समिति द्वारा किया जाता है तो यह पट्टा विलेख स्वयं ही डिटरमाइन्ड हो जायेगा और पट्टाधारक समिति के समस्त अधिकार संबंधित भूमि या पट्टेवाली भूमि की बावत समाप्त हो जायेंगे, तथा परिषद को/पट्टाकर्ता को री–इन्ट्री का अधिकार उस भूमि पर हो जायेगा।

अधिनियमों मे संशोधन अथवा नये अधिनियमों के बनाये जाने,सक्षम न्यायालयों /न्यायाधिकरणों द्वारा किसी आदेश निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि अथवा इसके विकास कार्य पर हुए व्यय मे अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में परिषदद्वारा निर्धारित वह धनराशि भी पंजीकृत इच्छुकक्रेता /किराया विक्रय क्रेता/क्रेता आवंटी/पट्टेदार समिति द्वारा एक मुश्त देय होगी जिसकी मॉग की

पट्टेदार

... समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

23 MAR 2017

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560466

[13]

1-साक्षी :
1. हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

2-साक्षी :
1. हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

उप आवास आयुक्त
(कृते आवास आयुक्त)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

1-साक्षी :
1. हस्ताक्षर
2. नाम B. D. Sharma S/ C.D. Sharma.
3. पता FD-21 Kavi Nagar, Ghaziabad

2-साक्षी :
1. हस्ताक्षर
2. नाम Chiranjeet Singh S/o Charan Singh
3. पता Tek Complex, गाजियाबाद

पट्टेदार के लिए और उसकी ओर से

2. नाम– श्री नरेन्द्र सिंह तोमर(सचिव)
जनता परिषद सहकारी आवास समिति लि०
3. पता – 11/जी०एच०–1, (सेक्टर–11), वसुन्धरा,
गाजियाबाद

पट्टेदार
जनता परिषद सहकारी आवास समिति लि०
(एन०एस० तोमर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

In Stamp No. 667

23 MAR 2012

CASHIER

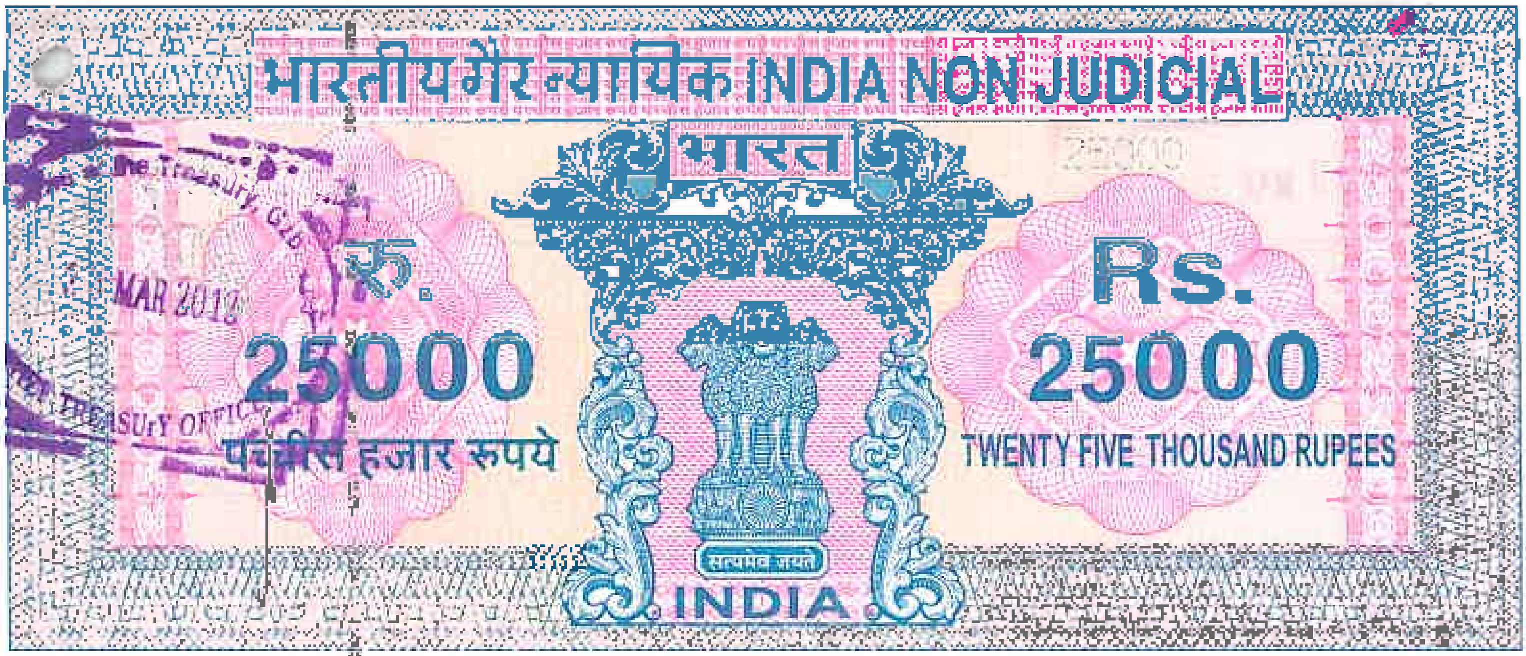

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560467

[12]

जाय । ऐसी माँग किये जाने परस इसका भुगतान माँग की तिथि से तीन माह के अन्दर कर दिया जायेगा। ऐसा भुगतान समय से न होने पर इसकी वसूली भूराजस्व के कार्य की भाँति कर सकेगी । उक्त के अतिरिक्त समिति पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड एवं बल्क सेल संबंधी परिषद गाइड लाइन्स के नियम व शर्ते लागू होंगी एवं समय–समय पर परिषद/शासनादेश के अनुरूप किये गये आदेश समिति को मान्य होंगे ।

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सीमाएं		सम्पत्ति संख्या श्रेणी –भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11)	
उत्तर	सलग्न	क्षेत्रफल	16166.00 वर्ग मीटर
पूर्व	साइट	पूर्व	सलग्न
दक्षिण	प्लान	पश्चिम.......	साइट
पश्चिम.......	के अनुसार	उत्तर	प्लान
		दक्षिण	के अनुसार

पट्टेदार

अजपा प... ...समिति लि०

(एल०एस० तामर)
सचिव

पट्टादाता

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

678 Re..........
In Stamp No. 667

23 MAR 2012

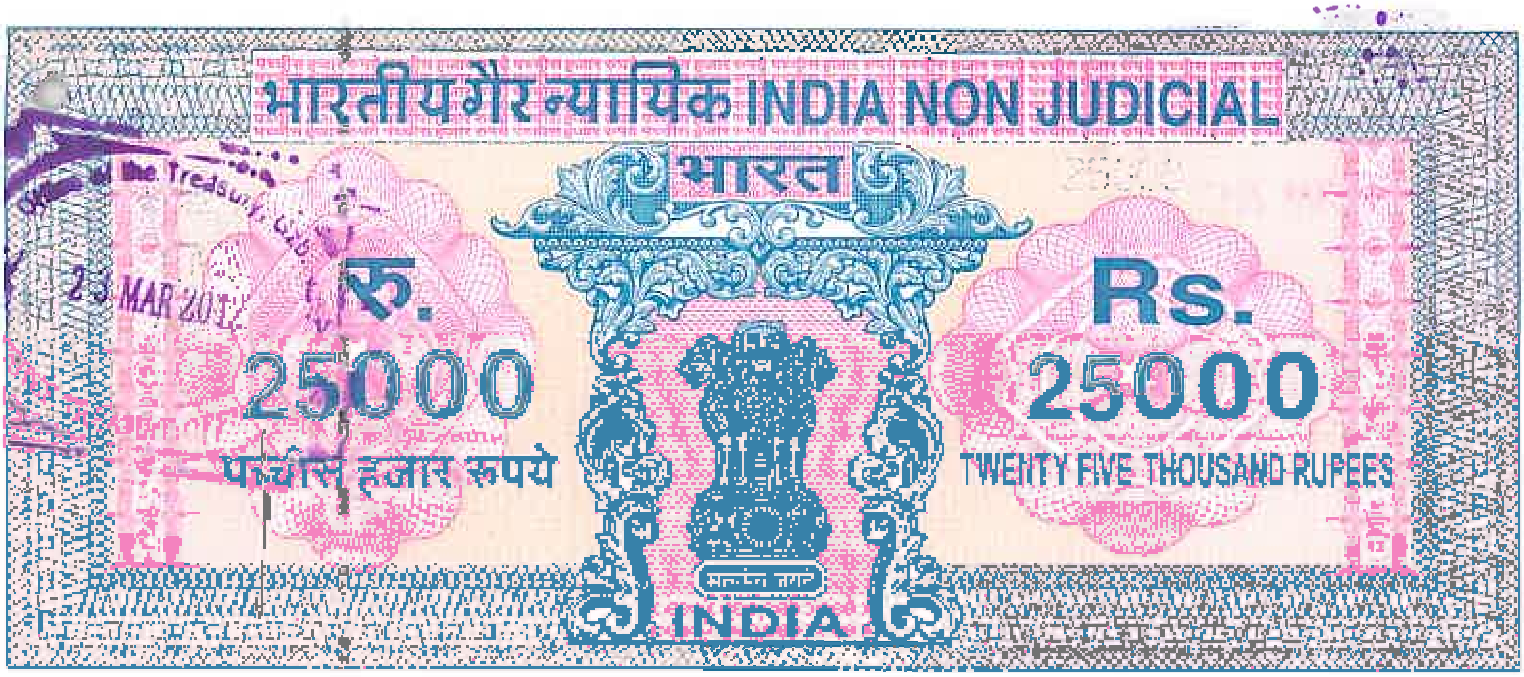

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560465

[14]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि० द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार

पट्टादाता

अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

680

Im Stamp No. 667

23 MAR 2012

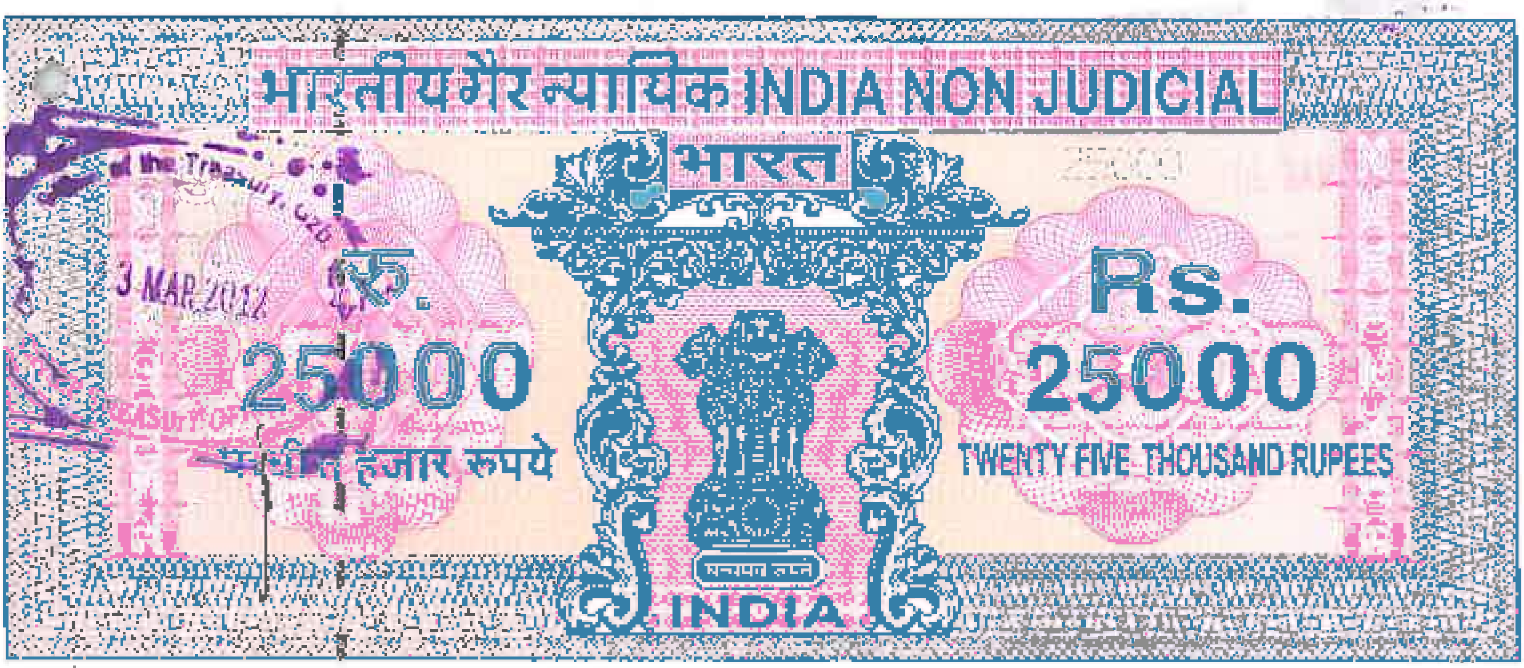

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560464

[15]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी0एच0–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

उप आवास आयुक्त
पट्टादाता

पट्टेदार
अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0
(एन0एस0 तोमर)
सचिव

23 MAR 2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

23 MAR 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560463

[16]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि० द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार

अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि०

(एन०एस० तोमर)
सचिव

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
मुख्यालय, गाजियाबाद

182
No. 667
23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

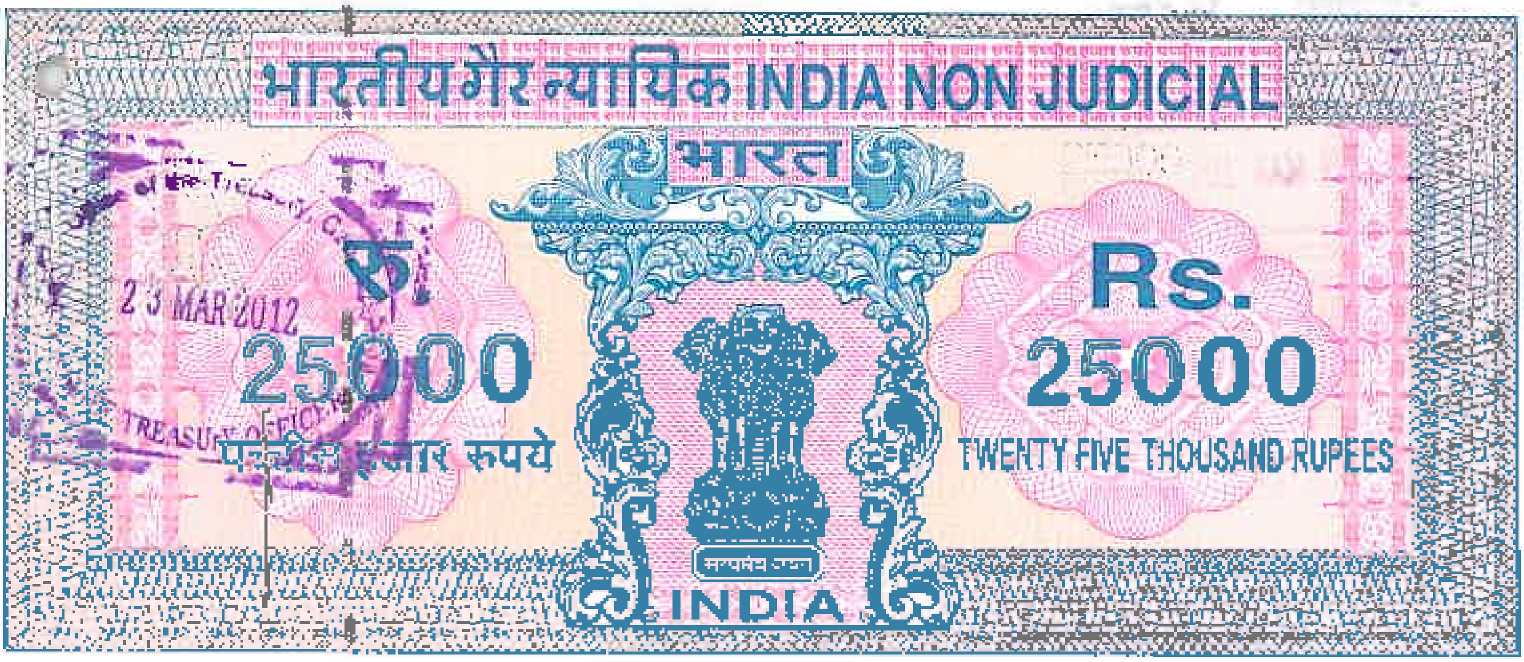

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560462

[17]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी0एच0–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार
अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0
(एन०एस० तोमर)
सचिव

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
मेरठ, गाजियाबाद
पट्टादाता

23 MAR 2012

CASHIER

TREASURY GHAZIABAD

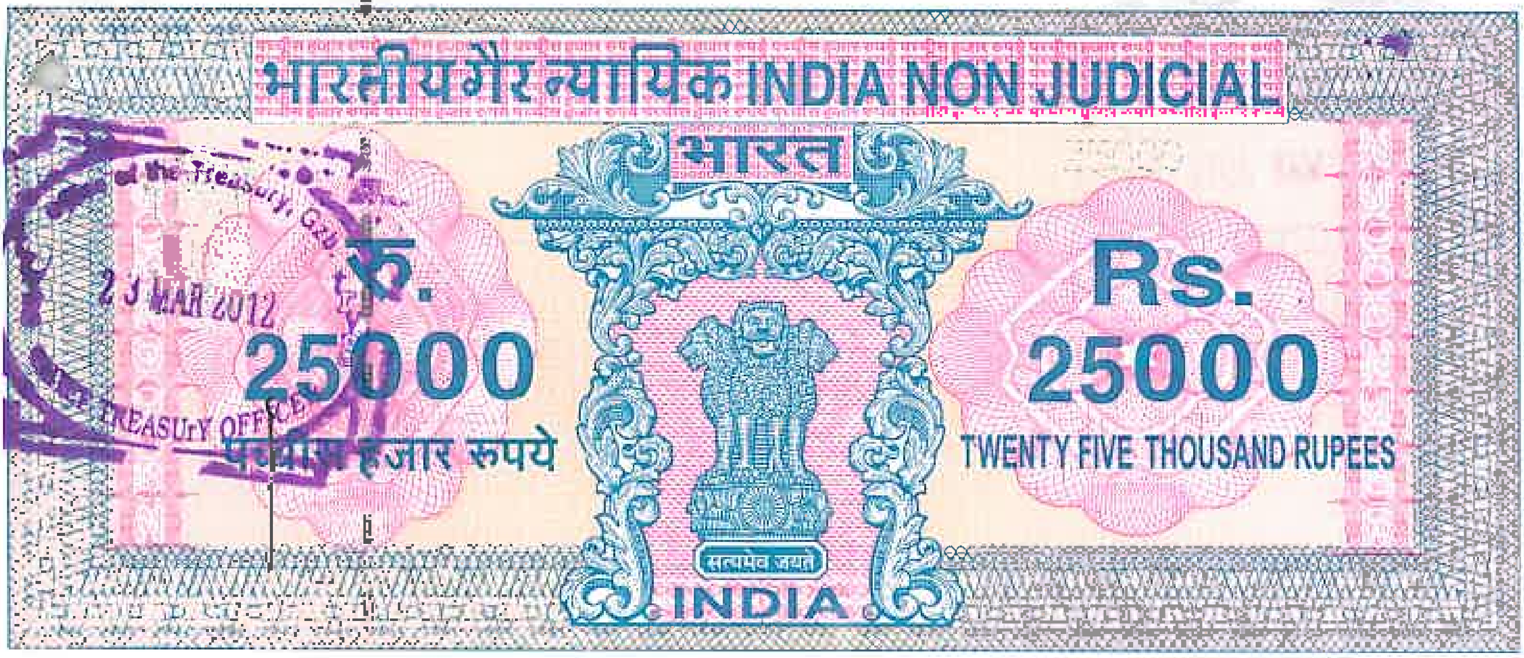

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560461

[18]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि० द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार

समिति लि०

(एन०एस० तोमर)

सचिव

पट्टादाता

23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560460

[19]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि० द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार

(एन०एस० तोमर)
सचिव

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

पट्टादाता

23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY CHANDIGARH

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 MAR 2012

TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 560459

[20]

यह स्टाम्प पेपर अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि० द्वारा–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (सचिव) को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–11/जी०एच०–1 (सेक्टर–11) के साथ संलग्न किया गया।

पट्टेदार

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
पट्टादाता

23 MAR 2012
CASHIER
TREASURY